मौलाना मज़हरूल हक़ अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना

مولانا مظہر الحق عربی و فارسی یونیورسٹی، پٹنہ

Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna

Ref.............................

Date..............................

कार्यालय आदेश

NCTE द्वारा दो वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त निम्नलिखित संस्थानों को मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना की संबंधन समिति (Affiliation Committee) की बैठक दिनांक–08/05/2018, विद्वत परिषद (Academic Council), दिनांक–08/05/2018 एवं अभिषद (Syndicate), दिनांक–09/05/2018 में लिए गए निर्णय के आलोक में माननीय कुलपति ने इन संस्थानों को विश्वविद्यालय की अधिषद (Senate) की स्वीकृति की प्रत्याशा में सत्र 2018–20 से NCTE द्वारा मान्यता जारी रहने तक दो वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अस्थायी संबंधन प्रदान करने की कृपा की है।

Sl. No.	Name of B.Ed. Colleges	Intake
01	Chanakya Foundation (B.Ed.Collage), Vill. Chhitampur, Chanakya Nagar, Koilwar, Distt. Bhojpur, Bihar -802160	100
02	Baba Heera Singh Deepa Singh Jee Primary Teachers Training College, Vill. Kothuan(Agaion Bazar), Piro, Distt. Bhojpur, Bihar -802202	100
03	Uday Teacher's Training College, Vill. Makhdumpur, Chithaul Chakia, P.S. Bhagwanganj, Masaurhi Pali Road, Distt. Patna, Bihar -804452	100
04	S T College of Education, Vill. Ahmad Raza Nagar, Kurkuri, Phulwari Sharif, Distt. Patna, Bihar -801505	100
05	Premlata Madan Mohan College of Education, Vill. Lodipur, P.O. Amawan, P.S. Bind, Distt. Nalanda, Bihar- 811101	100
06	Gautam Budh Tearcher's Training College, Vill. Baba Bakhtaur Bangoriya Dham, P.O. Nagarnausa, Distt. Nalanda, Bihar -801305	100
07	Swami Vivekanand B.Ed. College, Vill. Simultala, Chakai Road, Jhajha(Bangama), Simultala, Distt. Jamui, Bihar -811316	100

NCTE द्वारा दो वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त तथा विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी संबंधन प्राप्त निम्नलिखित संस्थानों को NCTE की स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय की संबंधन समिति (Affiliation Committee) की बैठक दिनांक–08/05/2018, विद्वत परिषद (Academic Council) दिनांक–08/05/2018 एवं अभिषद् (Syndicate) दिनांक–09/05/2018 में लिए गए निर्णय के आलोक में माननीय कुलपति ने इन संस्थानों को विश्वविद्यालय की अधिषद् (Senate) की स्वीकृति की प्रत्याशा में सत्र 2018–20 से NCTE द्वारा मान्यता जारी रहने तक दो वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित सीटों के साथ उनके नाम के सामने अंकित अतिरिक्त सीटों की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

Sl. No.	Name of B.Ed. Colleges	Intake
01	Fatma Degree College, Vill. Alampur, Lahyarchak Phulwari Sharif, Gonpura, Distt. Patna, Bihar -801505	**50 (In addition to existing 100) 50+100=150**
02	Ramuni Devi B.Ed. College, Vill. Manjurahi(NH-2), P.O. Manjurahi, Distt. Aurangabad, Bihar -824101	**50 (In addition to existing 50) 50+50=100**
03	Sai College of Education, Vill. Earki, P.O. Jahanabad, Distt. Jahanabad, Bihar -804408	**50 (In addition to existing 150) 50+150=200**

निर्धारित संबंधन शुल्क रू० 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार रू० मात्र) पत्र निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। साथ ही छात्रों के नामांकन में इस विश्वविद्यालय के बी०एड० नामांकन अध्यादेश का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।

बी० एड० महाविद्यालयों के लिए NCTE या अन्य अधिकृत प्राधिकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, नियम–परिनियम का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही महाविद्यालयों में कार्यरत सभी पूर्णकालिक शिक्षकों का पूर्ण ब्योरा एवं शिक्षकों के खाते में RTGS के माध्यम से वेतन भुगतान की विवरणी अलग–अलग शपथ पत्र में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है।

अतः उपरोक्त सभी बी०एड० महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में पूर्णकालिक सभी शिक्षकों के द्वारा विश्वविद्यालय में एक शपथ पत्र 10 दिनों के अंदर जमा करा दें जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक केवल इन्हीं महाविद्यालयों में कार्यरत हैं और दूसरे किसी अन्य महाविद्यालय में कार्यरत नहीं हैं। इस शपथ पत्र के साथ शिक्षक अपना Aadhar Linked बैंक खाता का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं फोटो आदि की प्रति देना भी सुनिश्चित करेंगे।

माननीय कुलपति के आदेश से।

ह0/–
(प्रो० मो० इसरार हसन खान)
कुलसचिव

ज्ञापांकः– F. 1034/17(P-1) RE 223/18 **पटना, दिनांकः–** 12/05/2018

प्रतिलिपिः–

1. संबंधित बी० एड० महाविद्यालयों के सचिव/प्राचार्य।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
3. विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
4. विश्वविद्यालय के संबंधित शाखाओं को सूचनार्थ प्रेषित।

12/05/2018
कुलसचिव